UPBS120003152016

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 07/2016

रामदुलारे बनाम निसार अहमद

02.02.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 101 ग 2 पर सुना–

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र 101 ग 2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि पत्रावली में दिनांक 23.08.2022 वादबिन्दु/निस्तारण 6 ग 2 नियत थी। परन्तु प्रतिवादी ववजह बुखार बीमार होने के कारण कचेहरी नहीं आ सका, न अपने अधिवक्ता को सूचना दे सका। फलस्वरूप एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश हो गया। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं किया है। ऐसी दशा में आदेश दिनांकित 23.08.2022 को रिकाल किया जाना आवश्यक है।

वादी द्वारा आपत्ति कागज सं० 104 ग 2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि प्रतिवादी जानबूझकर पेशी पर नहीं आते हैं। जब मुकदमा एकपक्षीय अग्रसारित हो गया तब बीमारी का बहाना बनाकर रिकाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिए है। बीमारी के बाबत कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र विलम्ब से दिया गया है, परन्तु विलम्ब के बाबत धारा 5 मियाद अधिनियम के सम्बन्ध में कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2022 को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित करने का आदेश पारित कर दिया गया था। उक्त आदेश को मंसूख कराने हेतु प्रार्थनापत्र 101 ग 2 प्रतिवादी द्वारा दाखिल किया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। विधि की सदैव यह मंशा है कि वाद का निस्तारण पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। जहां तक वादी द्वारा उठायी गयी आपत्ति का प्रश्न है, उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 101 ग 2 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 101 ग 2 मु० 300/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। बाद हर्जा अदायगी न्यायालय का आदेश दिनांकित 23.08.2022 अपास्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते वादबिन्दु दिनांक 11.04.2023 पेश हो। T.I. नियत तिथि तक स्वीकृत।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।

Digitally signed by DIKSHA AGARWAL
Date: 2023.02.02 17:24:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court